जनपद शामली पुलिस

--सोशल मीडिया सेल शामली--

प्रेस विज्ञप्ति **दिनांक-27.07.2025**

थाना कैराना पुलिस द्वारा युवती से छेड़छाड़, गाली-गलौच व धमकी देने के मामले में अभियुक्त गिरफ्तारः-

ज्ञात हो दिनांक 25.07.2025 को थाना कैराना क्षेत्रान्तर्गत युवती के साथ छेड़छाड़, गाली-गलौच व धमकी देने की घटना कारित की गयी थी। पीड़िता के परिजनों की तहरीर के आधार पर थाना कैराना पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था।

इसी क्रम में आज दिनाँक 27.07.2025 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री राम सेवक गौतम के आदेशानुसार चलाये जा रहे महिलाओं के विरूद्ध अपराध की रोकथाम एवं महिला अपराधों से संबंधित वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के अनुपालन में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी कैराना के कुशल पर्यवेक्षण में थाना कैराना पुलिस द्वारा युवती से छेड़छाड़, गाली-गलौच व धमकी देने के मामले में 01 अभियुक्त को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना कैराना पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम व पता अभियुक्तः-

1.इरफान पुत्र नफीस निवासी मौहल्ला छड़ियान थाना कैराना जनपद शामली।

थाना झिंझाना पुलिस द्वारा 01 मादक पदार्थ तस्कर गिरफ्तार, कब्जे से अवैध 89 ग्राम चरस बरामदः-

आज दिनांक 27.07.2025 को पुलिस अधीक्षक शामली के आदेशानुसार चलाए जा रहे मादक पदार्थों की तस्करी में लिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी/बरामदगी अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी कैराना के कुशल नेतृत्व में थाना झिंझाना पुलिस द्वारा 01 मादक पदार्थ तस्कर को अवैध 89 ग्राम चरस सहित गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना झिंझाना पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तः-

1.सुनील पुत्र यशपाल सिंह निवासी ग्राम नानौता जनपद सहारनपुर।

बरामदगी का विवरणः-

1.अवैध 89 ग्राम चरस।

<u>थाना कोतवाली पुलिस द्वारा पुलिस अभिरक्षा रिमाण्ड पर लाए “थाना कोतवाली शामली क्षेत्रान्तर्गत सिम्भालका बाईपास पर धागा व्यापारी के मुनीम व चालक से हुई लूट के मामले में” अभियुक्त की निशादेही पर लूटी गई नगदी 50,000/-रुपये बरामदः-</u>

ज्ञात हो कि दिनाँक 03.06.2025 को सांय 18.12 बजे थाना कोतवाली शामली क्षेत्रान्तर्गत सिम्भालका बाईपास पर मेरठ से पानीपत जाते समय पानीपत निवासी धागा व्यापारी के ड्राईवर सतनाम पुत्र दर्शन निवासी नूर वाला थाना जनपद पानीपत व मुनीम अनिल पुत्र स्वरूप निवासी कहलपा थाना बडौदा जनपद सोनीपत से भारत सरकार लिखी बुलेरो सवार अज्ञात व्यक्तियों द्वारा स्वंय को जीएसटी अधिकारी बताकर चेकिंग के लिये गाड़ी रुकवाकर रुपये लेकर थाना किला जनपद पानीपत हरियाणा में आने की बात कहकर चले गये थे । सूचना पर तत्काल श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक सहारनपुर परिक्षेत्र सहारनपुर व अन्य सभी उच्चाधिकारीगण, थाना कोतवाली शामली पुलिस, एसओजी/सर्विलांस, फील्ड़ यूनिट की टीमों द्वारा मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का निरीक्षण कर महत्वपूर्ण साक्ष्य एकत्रित किये गये थे । घटना के सम्बन्ध थाना कोतवाली शामली पर मु0अ0सं0 274/2025 धारा 309(4) बीएनएस मे पंजीकृत किया गया । घटना की गंभीरता के दृष्टिगत घटना के अनावरण हेतु पुलिस अधीक्षक शामली महोदय द्वारा 04 टीमों का गठन कर घटना का यथाशीघ्र अनावरण किये जाने के निर्देश दिये गये थे । एसओजी टीम शामली व थाना कोतवाली शामली पुलिस द्वारा दिनाँक 08.06.2025 को घटना का सफल अनावरण करते हुये घटना में लिप्त अभियुक्तगण मोहित, शुभम उर्फ गौरव, अमरजीत, गुलशन, रवि को बाद पुलिस मुठभेड़ लूटी गयी नगदी 10 लाख रुपये, अवैध हथियार-कारतूस एवं गाड़ी सहित व दिनाँक 01.07.2025 को अभियुक्त राहुल को पुलिस मुठभेड़ में लूटी गई नगदी, अवैध हथियार-कारतूस व मोटर साईकिल सहित गिरफ्तार किया गया था।

उपरोक्त घटना में वांछित अभियुक्त रोहन भाटी पुत्र राजे निवासी ग्राम खेला थाना चांदीनगर जनपद बागपत द्वारा दिनांक 05.06.2025 को माननीय न्यायालय जनपद बागपत के समक्ष आत्मसमर्पण किया गया था, जिसके बाद विवेचनाक्रम में जिला कारागार बागपत जाकर अभियुक्त रोहन भाटी उपरोक्त से पूछताछ की गयी । इसी क्रम में माननीय न्यायालय से उपरोक्त अभियुक्त की पुलिस कस्टड़ी रिमाण्ड प्राप्त कर अभियुक्त रोहन उपरोक्त की निशांदेही पर लूटी गई नगदी 50,000/-रुपये बरामद हुये है। बरामदगी के सम्बन्ध में थाना कोतवाली शामली पर वैधानिक कार्यवाही प्रचलित है।

<u>नाम व पता अभियुक्त-</u>

1.रोहन भाटी पुत्र राजे निवासी ग्राम खेला थाना चांदीनगर जनपद बागपत।

<u>अभियुक्त की निशादेही पर बरामदगी का विवरणः-</u>

1.लूटी गई नगदी 50,000/-रुपये।

<u>SOCIAL MEDIA CELL SHAMLI</u>